भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1864

बुधवार, 04 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों में हड़तालें

1864. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों (पीएसयू) के मजदूर संघों द्वारा कितनी हड़तालें की गई हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों में हड़ताल करने के कारण इन उपकर्मों में कितने कामगार निलम्बित हुए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों में इन उपकर्मों के कुल कितने कर्मचारियों को गंभीर हादसों का सामना करना पड़ा और उक्त कामगारों में से कितने कामगारों को नियोक्ता से स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या इन उपकर्मों में विनिवेश के कारण हड़तालों /तालाबंदी की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): केंद्रीय क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों (पीएसयू) के मजदूर संघों द्वारा की गई हड़तालों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	हड़तालों की संख्या
2016-17	136
2017-18	122
2018-19	209
2019-20	189
2020-21	176

(ख): इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी गई है।

....जारी पृष्ठ 2/-

(ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार एवं सेवा की शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों में, केंद्रीय क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हादसों में मारे गए और घायल हुए कामगारों की कुल संख्या क्रमशः 94 और 170 थी। तथा वर्ष 2016-2020 के दौरान, कोयला, धातुगत और तेल खानों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हादसों में कुल 371 कामगारों ने अपनी जान गवांई तथा 1264 कामगार गंभीर रूप से घायल हुए।

कारखाना सलाह और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत वर्ष 2015-19 के दौरान कारखानों में 5661 घातक और 38945 गैर-घातक दुर्घटनाएं हुई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उनके नियमित कामगारों के लिए उनकी अपनी स्वास्थ्य देखभाल लाभ योजना है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 का उद्देश्य रोजगार के दौरान दुर्घटना होने पर कर्मचारियों की या तो मृत्यु हो जाने या अशक्त हो जाने के मामले में कर्मचारियों और/या उसके आश्रितजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रम ब्यूरो के नवीनतम समेकित आंकड़ों के अनुसार, जोकि वर्ष 2016 से संबंधित हैं, में कुल 5487 दुर्घटनाएं हुई जिसके लिए इस अधिनियम के तहत प्रतिकर प्रदान किया गया।

(घ) और (ड़): इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

*****